

452/25

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

दिनांक 24/11/21

ग्रामीण सेवा शिबिर

कैम्प काट

452/509

किशोर बनाम सरकार

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:-

पटवारी हल्का ... के ... भू अभिलेख निरीक्षक ... की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम ... के खाता संख्या 180, 181, 151 में निम्नानुसार शुद्ध किया जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व नाम	ग्राम	का	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्ध सन्तुलित प्रविष्टि	वि. वि. सं.
01		करौली		180	373	शुद्ध	राजपूत	
02		य		181	371, 372, 870	य	य	
03		य		151	1443, 1445	य	य	
04								

उपखण्ड अधिकारी  
नादौती

कैम्प कोर्ट ...

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

02. पटवारी, पटवार हल्का ...

03. प्रार्थी ...



उपखण्ड अधिकारी  
नादौती

